International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 5, Issue 03, March 2018
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

हिमाचल प्रदेश की कृषि

रामचन्द्र शर्मा, डा0आर0बी0गोदियाल
शोद्यार्थी
एस0आर0टी0 परिसर बादशाही थौल
टिहरी गढ़वाल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

प्रस्तावनाः—

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थ व्यवस्था प्रधानता कृषि पर आधारित है। भारतीय समाज भी प्रमुखतः एक कृषि—परक समाज है। देश की 70 फीसदी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिये कृषि पर ही आश्रित हैं। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंशदान बर्ष 1951 में 60 प्रतिशत से घटकर बर्ष 2007 में लगभग 22 फिसदी रह गया तथापि यह अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की विशाल जनसंख्या तथा पशुधनसंख्या का पोषण करने(भोजन प्रदान करने)के अतिरिक्त कृषि से कृषि परक उद्योंगों के लिए कच्चे माल प्राप्त होते है। तथा यह श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है। एवं पर्याप्त बहुमुल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करती है। कृषि के अन्तर्गत शस्योंत्पादन ही नहीं अपितु पशुपालन वानिकी, मत्स्यपालन रेशमकीट पालन मौन (मधुमक्खी) पालन आदि भी जो प्रत्यक्ष रू॰ से भूमि तथ जल से सम्बद्व है, सम्मिलित है।

कृषि के विकास के लिए परिवहन, संचार, बैकिंग विधुत भण्डारण , विपणन आदि सुविघाओं की आवश्यकता होती है, कृषि का तीब्र तथा सतत विकास करना सरकारी एजेण्डे की प्राथमिकता रही है। इसलिए प्रोद्योगिकी के प्रचार—प्रसार के लिए कृषि क्लीनिक, कृषि व्यापार एवं कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की प्राथमिकता दी गयी। किसानों की समस्याओं तथा उनकी आय बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया। जल प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए टपका सिंचाई तथा छिड़काव पद्वति द्वारा अधिक जल के बेहतर उपयोग के उददेश्य से लघु सिंचाई का एक नया कार्यक्रम प्राराम्भ किया गया कृषि सम्बन्धी मुददों तथा समस्याओं के निराकरण के लिए किसान काल सेन्टर खोले गये ताकि उन्हें

विशेषज्ञों की उचित राय की प्राप्ति सम्भव हो सके किसानों की समस्याओं तथा निर्धारित मुददों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए टी0 बी0 चैनल 'कृषि दर्शन' तथा रेडियों चैनल 'कृषि वाणी 'भी प्राराम्भ किया गया

<u>अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूपः–</u> हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी अक्षांश से 33′ 12″40″ और 75″45″55″E देशान्तर है और यह 21,629 मील (56019) से अधिक क्षेत्र में फैला है। उत्तर मं जम्मू–कशमीर, पश्चिम तथा दक्षिण में उत्तराखण्ड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आर्थी का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है आग्ल–गोरखा युद्व के बाद यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के हाथ में आ गया सन1857 तक यहा महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पांचवा राज्य का हिस्सा था सन् 1950 में इसे केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अन्तर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18 वां राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय भारत के किसी भी अनय राज्य की तुलना में अधिक है बारहमासी नदियों की बहुवायत के कारण हिमाचल अन्य राज्यों की पनबिजली बेचता है राज्य की अर्थव्यवस्था तीन प्रमुख कारणों पर निर्भर करती है। जो पनबिजली पर्यटन और कृषि हिन्दुराज्य की जनसंख्या का 95%है और प्रमुख समुदायों मे ब्राह्मण, राजपूत,धिर्य गददी कन्नेत, राठी कोली शामिल है।

ट्रान्सपरेन्सी इटंरनेशनल के 2005 के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश में केरल के बाद दूसरी सबसे कम भ्रष्ट राज्य है।

हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणी से ही धग्गर नदी निकलती है। राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में सतलुज और व्यास शामिल है। हिमाचल हिमालय का सुदर उतरी भाग लददाख के ठंडे मरूथल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पिति जिले के स्पिति उपमण्डल है।

हिमाचल में तीन ऋतुएँ होती है–गीष्मऋतु शरदऋतु और बर्षा ऋतु हिमाचल प्रदेश की समुद्रतल से उंचाई की विविधता के कारण जलवायु में भी भिन्नता है कही सारा बर्ष वर्फ गिरती है तो कहीं गर्मी होती है हिमाचल मे गर्म पानी के चश्में भी है और हिमनद भी है।

<u>कृषि</u>

कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान हैं हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार

89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व वागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 62 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्त्रोत है।

राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्ता होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.61 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.00 हैक्टेयर हैं। कृषि गणना 2010–11 के अनुसार भू जोतों के बर्गीकरण नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.95 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 11.71 प्रतिशत अर्ध–मध्यम व केवल 0.34 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

भू जातों का वर्गीकरण

जोतो का आकार (हैक्टर)	वर्ग (किसान)	जोतो की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार (है0)
10 से कम	सीमान्त्	6.70	2.73	0.41
1.0–2.0	लघु	1.75 (18.17%)	2.44 (25.55%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध मध्यम	0.85 (8.84%)	2.31 (24.14%)	2.72
4.00–10.0	मध्यम	0.28 (2.87%)	1.57 (16.39%)	5.61
10.0व अधिक	बड़े	0.03 (0.34%)	0.51 (5.29%)	17.00
जोड़		**9.61**	**9.55**	**1.00**

कुल जोते गये क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित हैं चावल गेंहू तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल सरसों और तोरिया रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें है। उहद, बीन मूंग राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उपपर्वतीय तथा निचले पहाड़ी क्षेत्र।
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र।
- नमी वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र।
- शुष्क तापमान वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु नगद फसलों जैसे बीज आलू अदरक तथा बेमौसमी संब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रंचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता , उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत कीटाणु प्रबन्ध से उन्नत करना, जल प्रबन्धन के अंतर्गत अधिक से अधिक भूमि को शामिल करना एव जल संरक्षण कर बेकार जमीन का विकास करके बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी बर्षा बरसात में ही होती हैं तथा शेष बाकी मौसमों में होती है। राज्य में औसतन 1251 मि.मी. बर्षा होती है। जिसमें सबसे अधिक बर्षा चम्बा सिरमौर और मण्डी जिला आते है।

मौनसून 2017

कृषि कार्यकलापों का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश मे बर्ष 2017 के मौनसून में मौसम (जून सितम्बर) में विलासपूर,हमीरपुर कांगडा, कुल्लू, मण्डी, शिमला सिरमौर सोलन और ऊना में सामान्य, चम्बा व किनौर में कम तथा लाहौल–स्पिति में छुटपुट बर्षा हुई। इस बर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में (–)15 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी मं विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

मानसून वर्षा आंकड़े

जिला	**वास्तविक मि.मी.**	**सामान्य मि.मी**	**अधिकता/कमी**	
			कुल(मि.मी.)	**प्रतिशतता**
बिलासपुर	954	877	77	9
चम्बा	697	1406	(–)710	(–)50
हमीरपुर	1074	1079	(–)5	0
कांगडा	1632	1582	50	3
किन्नौर	147	264	(–)117	(–)44
कुल्लू	589	520	70	13
लाहौल–स्पिति	138	458	(–)320	(–)70
मण्डी	1196	1093	102	9
शिमला	647	634	13	2
सिरमौर	1213	1325	(–)112	(–)8
सोलन	840	1000	(–)161	(–)16
ऊना	1019	863	157	(–)18
औसत	**717**	**844**	**(–)127**	(–)15

सारणी

मौनसून बाद वर्षा के आंकडे

अक्टूबर–दिसम्बर 2017

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी	अधिकता / कमी	
			कुल(मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	43	70	(–)26	(–)38
चम्बा	71	127	(–)56	(–)44
हमीरपुर	60	86	(–)26	(–)30
कांगडा	83	105	(–)22	(–)21
किन्नौर	52	102	(–)50	(–)49
कुल्लू	65	98	(–)33	(–)33
लाहौल–स्पिति	62	144	(–)81	(–)57
मण्डी	53	81	(–)27	(–)34
शिमला	27	75	(–)48	(–)64
सिरमौर	23	87	(–)64	(–)73
सोलन	29	89	(–)60	(–)67
ऊना	41	72	(–)31	(–)43
औसत	**55**	**108**	**(–)53**	**(–)49**

टिप्पणी

सामान्य =(–)19% से +19%

अधिक =(–)20% से अधिक

न्यून=(–)20% (–) 59%

अपर्याप्त=(–)60% से (–)99%

फसल उत्पादन 2016–17

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है। तथा अभी तक भी राज्य की अर्थ–व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2015–16 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पादन में लगभग 9.4 प्रतिशत योगदान रहा । खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थ–व्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012–17 के दौरान बेमौसमी सब्जियों आलू दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति सिंचाई के अन्तर्गत नए क्षेत्र लाकर जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रर्दशन व जानकारी पर विशेष महत्व दिया गया है। बर्ष 2016–17 कृषि के लिए सामान्य अच्छा

वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन बर्ष 2015–16 के 16.34 लाख मी0टन की तुलना में 17.45 लाख मी0टन उत्पादन हुआ।वर्ष 2015–16 के 1.83 लाख मी0टन आलू उत्पादन की तुलना में वर्ष 2016–17 में आलू उत्पादन 1.96 लाख मी0टन हुआ। सब्जियों का उत्पादन बर्ष 2015–16 के 16.09 लाख मी0टन की तुलना में बर्ष 2016–17 में 16.54 लाख मी0टन हुआ।

2017–18 के अनुमान बर्ष 2017–18 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 16.45 लाख मी0टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र बर्षा पर निर्भर करता है। खरीफ सीजन में बुआई अप्रैल अन्त में शुरू होती है और जून मध्य तक जाती है। मक्की और धान खरीफ सीजन की मुख्य फसलें है। रागी, छोटे अनाज तथा दालें कम मात्रा में होती है। खरीफ सीजन के दौरान 384.26 हजार हैक्टेयर क्षेत्र बोया गया था लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र अप्रैल–मई तथा शेष क्षेत्र जून–जुलाई के महीने में बोया गया जो कि खरीफ सीजन का शीर्ष समय होता है। राज्य के अधिकांश हिस्से में सामान्य वर्षा होने के कारण बीजाई समय पर की जा सकी और कुल मिलाकर फसल की स्थिति सामयान्य थी। यद्यपि मानसून 2016 के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों मे भारी वर्षा होने के कारण खरीफ की खड़ी फसल कुछ सीमा तक प्रभावित हुई और 9.55 लाख मी0टन उत्पादन हुआ जो कि पिछले बर्ष सीजन के लिए 9.04 लाख मी0टन था रबी सीन 2016–17 के दौरान अक्टूबर से दिसम्बर 2016 की अवधि में वर्षा –93 प्रतिशत कम हुई परन्तु जनवरी 2017 के पहले पखवाडे में वर्षा आरम्भ हुई अतः late variety बीज बुआई की गई ताकि सुखे के कारण होने वाली की सम्भावनाओं को कम किया जा सके जिस कारण 2016–17 रबी उत्पादन के 6.97 लाख मी0टन के लक्ष्य की तुलना में 7.90 लाख मी0 टन का लक्ष्य अन्तिम अनुमान के अनुसार प्राप्त किया गया है। फसलवार खाद्यान्नों एवं वाणिज्य फसलों का उत्पादन वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं लक्ष्य वर्ष 2017–18 तालिका में दर्शाया गया है।

खाद्यान्न उत्पादन (.000मी0 टन में)

फसलें	2014–15	2015–16	2016–17 (चतुर्थ अग्रिम)	2017–18 (लक्ष्य)	2018–19 (लक्ष्य)
चावल	127.38	129.88	146.59	132.00	132.00
मक्की	735.96	737.65	784.29	740.00	742.00
श्रागी	1.91	1.93	2.12	2.20	2.10
छोटे अनाज	3.39	3.09	4.19	3.70	3.70
गेंहू	648.29	667.62	704.21	670.00	690.00
जौ	36.70	34.33	35.82	36.00	36.00

चना	0.38	0.38	0.40	0.45	0.45
दालें	53.87	59.17	67.40	61.00	62.50
कुल खाद्यान्न वाणिजयक फसलें	**1607.88**	**1634.05**	**1745.02**	**1645.35**	**1668.75**
आलू	181.38	183.25	195.84	200.00	195.00
सब्जियॉ	1576.45	1608.55	1653.51	1540.00	1650.00
अदरक	16.50	32.33	35.39	32.70	35.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं है। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कृषि के अन्तर्गत भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदले रूझान की वजह से खाद्यन्न उत्पादन/फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–1998 में 853.88 हजार हैक्टर था जो घटते हुए वर्ष 2015–16 में अनुमानित 764.85 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जो कि सारणी 7.5 से पता चलता है।

खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र (000हैक्टेयर)	उत्पादन (000मी0टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (000मी0टन)
2014–15	755.21	1607.88	2.13
2015–16	764.85	1634.05	2.14
2016–17(अन्तिम)	774.09	1745.02	2.25
2017–18(लक्ष्य)	786.93	1645.35	2.09

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबधित कार्यक्रम (एच0वाई 0पी0)

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों का अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान गेंहू के अंतर्गत पिछले पांच वर्षो में लाया गया क्षेत्र तथा 2017–18 के लिए लक्षित क्षेत्र सारणी में दिया गया है।

अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

(.000मी0 टन में)

वर्ष	मक्की	धान	गेंहू
2014—15	288.00	74.00	352.00
2015—16	200.07	62.64	324.00
2016—17(अनुमानित)	205.50	63.31	329.00
2017—18(लक्ष्य)	206.00	65.00	342.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 20 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे पंजीकृत किसानों को बीज उपलब्ध करावया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेशमें 3 सब्जी विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए है।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

फसलों की पैदावार बढ़ाने के उददेश्य से पौधे संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे है। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, आई0 आर0डी0पी0 परिवारों पिछड़े क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन व लघु उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर उपलब्ध करवाएं गए। विभाग का दृष्टिकोण है कि पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग कम करके धीरे—धीरे कीटों /रोगों के जैविक नियत्रंण पर बढ़ावा दिया जाये। इस मद में सब्सिडी गैर योजना शीर्ष से वहन की जा रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी में दर्शाए गए है।

सम्भावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षणके अधीन लाया गया क्षेत्र (000हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
2012—.17(12वी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य)	425.00	600.00
2012—13	92.00	161.19
2013—14)	120.51	210.90
2014—15	108.63	190.11
2015—16	82.29	144.00
2016—17	117.00	206.00

प्रत्येक मौसम में मिटटी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिटटी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौल–स्पिति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन । प्रयोगशालाएं जिसमें से एक जन–जातीय क्षेत्र के लिए है, स्थानीय स्तर पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत है। यह प्रयोगशलाएं आधुनिक उपकरणों , द्वारा सशक्त की जा रही है। वर्तमान में 11 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ किया गया तथा 7 चलित प्रयोगशालाएं विभाग द्वारा स्थापित की गई तथा एक वर्ष में लगभग एक लाख मिट्टी के नमूने मिट्टी विशलेषण के लिए एकत्रित किए गए। वर्ष 2015–16 व 2016–17 में 69,635 मिट्टी के नमूनो का विश्लेषण परियोजना को सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर अपनाया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में पात्र किसानों का लगभग 48.038 स्वास्थ्य कार्ड उलब्ध करवायें जायेगे।जिससे किसानों को अपने खेतों की मिट्टी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। भू –उर्वरकता नक्शे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जी0पी0एस0 तकनीकी द्वारा बनाए जा रहे है। राज्य सरकार ने मिट्टी जांच को भी हि0 प्र0 सार्वजनिक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया है।

जैबिक खेती

सभी संबधित लोगो के लिए जैविक खेती सतत स्वास्थ्य दृष्टि से व पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रर्दशनी, मेल /गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्व तरीके के साथ प्रोत्साहित की जा रही है। यह भी फैसला लिया गया है कि हर घर मे बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान को 6,000 की राशि (50 प्रतिशत अनुदान पर(10*6*1*5)फीट की बरमी गड्डा तैयार करने के लिये दी जाती है। इसके अतिरिक्त जैविक खेती अपनाने पर अनुमोदित जैविक आदानों पर 10,000 प्रति हैक्टेयर (50प्रतिशत) तथा प्रमाणीकरण हेतु 10,000 प्रति हैक्टेयर 3 वर्षो के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है।

बायोगैस विकास कार्यक्रम

पारम्परिक ईधन ,जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयत्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च ,2017 तक राज्य में 44,778 बायोगैस संयन्त्र स्थापित किए गये तथा बर्ष 2017–18 के दौरान राज्य में 107 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके है। वर्ष 2017–18 के दौरान भी 100 और बायोगैस संयन्त्र स्थापित करना प्रस्तावित है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 25 संयत्र पहले ही स्थापित किये जा चुके है। यह कार्यक्रम परिपूर्णता के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

उर्वरक ही एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने मे योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 56491 टन हो गया । रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर 1,000 प्रति मी0टन तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा या 2500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो,उपदान स्वरूप केन्द्रीय योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में लगभग 57,409 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया जाएगा।

कृषि ऋण

ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते है। और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए है। किसानों की ऋण लेने की प्रवृति के मध्य नजर , जिसमें अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको आदान की खरीद के लिए बैंको द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थागत ऋण को व्यापक रूप देना विशेषकर उन फसलों मे जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आती है, बढ़ाने की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवनीतम तकनीकी तथा सुघरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उददेश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेठी की मिटिंग में फसल बार ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान केडिट कार्ड (के0सी0सी0)

यह योजना पिछले बारह तेरह बर्षो में बहुत ही सफल रही है।1955 से अधिक बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यन्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किसानों की प्रतिशतता कुल किसानो का लगभग 43 प्रतिशत है।

फसल बीमा योजना

सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से राष्ट्रीय कृषि मत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक अनुमोदन एवं दिशा निदेशों के अनुसार खरीफमौसम के लिये 2016 से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम के दौरान मक्का तथा धान की फसलों को शामिल किया गया है। फसलों के नुकसान

(बुवाई से कटाई तक)के कारण पैदा होते है, को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह योजना ऋणी किसानो के लिए जो कि बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से बीमित फसलोंके अंतर्गत फसल ऋण का लाभ ले रहे हैं आवश्यक है तथा गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर आधारित है। पी0एम0 एफ0 बी0वाई योजना के अंतर्गत 350 प्रतिशत से अधिक बीमाकृत राशि अथवा 35 प्रतिशत से अधिक बीमाकृत राशि , जो भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी कम्पनियों को मिलाकर अधिक हो उसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर भागीदारी में भुगतान करेगी। कृषि मत्रालय भारत सरकार द्वारा एक अन्य कृषि बीमा योजना खरीफ मौसम, 2016 से "पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की है ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान की जा सकें जो कि खरीफ खेती के दौरान फसलों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। अब तक रबी मौसम 2016–17 के दौरान 2.86 लाख किसान तथा 89.780 हैक्टेयर क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जा चुके है। इस योजना के अंतर्गत 400.00 करोड का बजट परिव्यय 2017–18 के लिए प्रस्तावित किया गया हैं जो कि प्रीमियम सब्सिडी के राज्य हिस्सेदारी के भुगतान के लिए उपयोग किया गया है।

बीज प्रमाणीकरण

कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए "हिमाचल राज्यबीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी " उत्पादकों को पंजीकृत कर रही है।

कृषि विपणन

कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया है। इस एक्ट के अन्तर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई । हिमाचल प्रदेश में 10 अधिसूचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया हैं। इसका मुख्य उददेश्य कृषक समुदाय के अधिकारों के सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। तथा अन्य स्थानों पर भी मार्केट यार्डो का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 10 मण्डी कमेटियां कार्य कर रही है। 58 मण्डियों को कार्यात्मक बनाया गया है। जिसमें से 19 मण्डियों ई मार्केटस के तहत नांमाकित की जा चुकी है। विकास के इस शीर्ष के लिए व्यय राज्य योजना से नहीं किया जा रहा है और इस अधिनियम से प्राप्त राजस्व को कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ाचे को बढ़ाने के लिये उपयोग मे लाया जा रहा है। हि0प्र0 कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट को भी भारत

सरकार द्वारा परिचालित माडल एक्ट की तर्ज पर संशोधित किया जा रहा हैं। इस एक्ट के तहत निजि बाजार की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन अनुबन्ध खेती और प्रवेश शुल्क का एक ही स्थान का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न मण्डियों का कम्प्युटरीकरण भी किया जा रहा है। यह सभी गतिविधियां विपणन बोर्ड द्वारा अपने फंड एवं आर0के0वी0वाई द्वारा चलाई जा रही है।

चाय विकास

चाय उत्पादन के अन्तर्गत 2310 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें बर्ष 2016—17 के दौरान 9.21 लाख किलाग्राम चाय का उत्पादन हुआ। अनुसूचित जाति के चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षो से बाजार में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है।उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने के लिए प्रदर्शन एवम् नतीजों पर बल दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

इस योजना के अन्तर्गत किसानों मे नए कृषि औजार/मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाड़ी स्थिति के अनुकूल छोटे ईधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है।

भू एवं जल संरक्षण

भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है। जिसके कारण हमारी मिट्टी का स्तर गिर जाता ह। इसके अलावा भूमि पर जैविक दबाव भी है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस दुष्प्रभाव को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत मिट्टी एवं जल संरक्षण दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

यह योजना हैं :—

1—भू संरक्षण

2—जल संरक्षण और विकास

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल दोहन के लिए टैंक तालाब चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण के लिये योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरणों व फुव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण एवंम जल संरक्षण तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

डा0 वाई एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना

कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र में अधिक व शीध्र विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए डा0 वाई एस0परमार किसान स्वरोजगार योजना बनाई है। इस परियोजना का उददेश्य जरूरत के हिसाब से संसाधनों की रचना एवं विभिन्न लक्ष्य जैसे अधिक पैदावार,गुणवता , विपरीत मौसम के लिए बचाव व कुशल आदानों का प्रयोग शामिल है। इसके साथ–साथ स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ऐसे पाली हाऊस विकसित करना जिसमें सुक्ष्म सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो। इस परियोजना के तहत किसानों को 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी । इसके अलावा किसानों के समूह को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप स`जल स्रोतों (कम/मध्यम लिफ्ट, पम्पिगं मशीनरी) के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

परियोजना घटक

(वर्ष 2014–15 से 2017–18)

क0स0	घटक	संख्या लागत	कबर क्षेत्र
1	पाली गृह क्षेत्री संरचना	4700	835350 वर्गमीटर
2	सूक्ष्म सिंचाई (स्पिंकलर /ड्रिप सिस्टम)पाली गृह की क्षमतानुसार	2150	820050 वर्गमीटर
3	निम्न ऊठाऊ,मध्यम ऊठाऊ,एवं पम्प सयंच /1 एच पी क्षमतानुसार प्रत्येक पोली गृह के साथ	870	–
4	निर्माण कुल लागत	10178.10	–
5	किसान संवेदीकरण आकस्मिक और लागत मे बृद्वि	940.45	–
6	कुल परियोजना लागत	11118.55	

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरका ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की हैं। इसके अन्तर्गत 4 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु उददेश्य निम्न प्रकार से हैः–

1–राज्यों को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो सकें।

2–राज्यों को कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाए बनाने तथा

कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।

3–कृषि संम्बन्धी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना।

4–राज्यों द्वारा कृषि योजनाओं मे स्थानीय जरूरतें/फसलें /प्राथमिकताएं भली–भाति प्रकार से व्यक्त हो, यह सुनिश्चित करना।

5–सरकारी हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन दर में अंतर को दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना।

6–किसानों को कृषि और संबधित क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य

7–उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न घटकों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास को बढ़वा देने के लिए जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य व ग्रमीण विकास भी शामिल है के लिए धन आवंटित किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए कृषि विभाग हेतु 39.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है यद्यपि वर्ष 2017–18 के लिए 22.94 करोड .की परियोजनाएं एस0एल0एस0सी0 द्वारा आर0 के0वी0वाई के अंतर्गत अनुमोदित है।

कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET)

12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के अन्तर्गत तकनीकी की प्रसार प्रणाली किसान आधारित बनाने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1–कृषि विस्तार–उप–मिशन(SAME)

2–बीज एवं रोपण सामाग्री उप–मिशन (smsp)

3–कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (smam)

4–पौध संरक्षण एवं पादप संगरोध (smpp)

इस नए घटक के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य 90:10 के अनुपात पर व्यय करेंगे । वर्ष 2017–18 के लिए 250.00 लाख के परिव्यय का अनुमान है।

स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन**(NMSA)**

स्तत कृषि उत्पादकता और गुणता, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कृषि विकास को निरन्तर बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थान पर विशिष्ट उपायों के माध्यम से दुलर्भ प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। राज्य में खाद्यान्न के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने

के लिए बारिश पर निर्भर कृषि के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण ह। बर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एन0एम0एस0ए0का गठन किया गया है। इस मिशन के तहत निम्न कृषि का विकास करना।

1–बारिश पर निर्भर कृषि का विकास करना

2–प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्ध।

3–जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।

4–मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार।

5–संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना।

यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना हैं और घटक 90.10 के अनुपात में क्रमशःकेन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन होगा। वर्ष 2017–18 के दौरान 200.00 लाख का अनुमान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(NFSM)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चावल गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2012 में रबी सीजन के दौरान प्रदेश में शुरू की गई है। इसके दो मुख्य घटक एन. एफ.एस.एम.चावल और एन.एफ.एस.एम. गेहूं है। केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से एन.एफ.एस. एम चावल राज्य के 3 जिलों में कार्य कर रही है। तथाएन.एफ.एस.एम गेंहू 9 जिलों में कार्य कर रही है। योजना का मुख्य उददेश्य चावल और गेंहू के उत्पादन को बढ़ाना तथा मिट्टी की उर्वरकता बनाये रखना और उत्पादकता, रचनात्मकता तथा रोजगार के अवसर लक्षित जिलों में अर्जित करना है। वर्ष 2017–18 के लिए राज्य योजना में 165.00 लाख व्यय का अनुमान है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

कृषि उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास में भारत सरकार ने एक नई योजना ”प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” के नाम से शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं (हर खेत को पानी)और अन्त से अन्त तक सिंचाई समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। पी.एम.के.एस.वाई का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि में सुधार करना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई एवं पानी की अन्य बचत तकनीकें शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए राज्य योजना में 2.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राजीव गॉधी सूक्ष्म सिंचाई योजना

राज्य सरकार फसलों को उत्पादकता में वृद्वि से राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्व है। कुशल सिंचाई प्रणाली के लिए सरकार ने राज्य में एक महत्वपूर्ण परियोजना ”राजीव गांधी सूक्ष्म

सिंचाई योजना" का शुभारम्भ किया है। 2015–16 से 2018–19 के शुरू में 4 साल की अवधि के लिए 154. 00 करोड के परिव्यय का प्रावधान रखा है। इस परियोजना के अन्तर्गत 8,500 हैक्टेयर क्षेत्र ड्रिप /छिड़काव सिंचाई प्रणाली के तहत लाया जाएगा तथा 14000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ड्रिप माईक्रों छोटे पोर्टेवल छिड़काव, अर्ध स्थायी छिड़काव और बड़ी मात्रा में छिड़काव के लिए 80 प्रतिशत की दर पर और पानी के स्त्रोंतों के बृद्वि के लिए 50 प्रतिशत अनुदान किसानों को उलब्ध करवाया जाएगा। वर्ष 2016–17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 709.85 हैक्टेयर क्षेत्र को लाकर 1,183 किसानों का लाभान्वित किया गया। वर्ष 2017–18 के लिए इस घटक क अन्तर्गत 10.00करोड़ के बजट का प्रावधान है।

उत्तम चारा उत्पादन योजना

राज्य में चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने "उत्तम चारा उत्पादन योजना" शुरू की है जिसके अन्तर्गत 25000 हैक्टेयर क्षेत्र चारा उत्पादन के लिए लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को रियायती दरों पर उत्तम घास बीज , कलमें तथा उत्तम गुणवत्ता के चारे की किस्मों में सुधार के लिए बीजो की आपूर्ति की जाएगी। भूसा कटर पर अनुदान अनुसूचित जाति/जन जाति और बी.पी. एल. किसानों को उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए 6.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि समस्यायें

हिमाचल प्रदेश जहां विकिसत कृषि तकनीकी प्रयोग के फलस्वरूप कृषि विकास में परिवर्तन हुआ है किन्तु क्षेत्रीय स्तर पर इसके प्रयोग की समस्यायें सामने आ रही है जिनका विवरण इस प्रकार है।

1–अनवरत कृषि कार्य एवं फसल चक्र न अपनाने से भूमि की उर्वरा शक्ति का क्षीण होना।

2–कृषक परिवारों के विखण्डन से जोत आकारों का विखण्डन

3–कृषि भूमि में जलापूर्ति का अभाव

4–उन्नतशील बीजों के प्रयोग की कमी

5–रसायनिक उर्वरकों का असन्तुलित प्रयोग

6–मृदा परीक्षण जागरूकता न होना एवं मृदा प्रयोगशालाओं का अभाव

7–कृषि ऋण की सुविधा का कम होना एवं ऋण दुरूप्रयोग

अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास हेतु सुझाव–

1–क्षेत्रीय स्तर पर कृषि भूमि के क्षेत्रफ लमें बढ़ोत्तरी के प्रयास

2–मृदा में पोषण तत्वों के बृद्वि हेतु रासायनिक उर्वरकों का सुन्तुलित प्रयोग

3–कृषि भूमि की पूर्ति हेतु सामूहिम कृषि कार्मो का बढ़ावा

4–सिंचाई साधनों में विशेषतः नहरों कीलम्बाई में वृद्दि एवं सिंचित क्षमता में बढ़ोत्तरी

5–उन्नतशील बीज के प्रयोग मे बढ़ोत्तरी एवं बीज विक्रय केन्द्रों की स्थापना

6–कृषि मशीनीकरण हेतु सरकारी स्तर से विशेष अनुदान

7–फसल बीमा योजना का समुचित क्रियान्वयन

सन्दर्भ–

1–तिवारी आर.सी.एवं एव ंबी.एन.कृषि भूगोल प्रयोग पुस्तक भवन एवं इलाहाबाद 2000पृष्ठ

2–मिश्रा विनीत कृषि अर्थशास्त्र, भारत भारती प्रकाशन एण्ड कम्पनी मेरठ

3–हिमाचल प्रदेश आर्थिक समीक्षा विवरण पुस्तिका 2017

4–डा0डी0 एग्रीकल्चर ग्रेथ टेक्नोलाजी , इण्डिन जनरल आफ एग्रीकल्चरल इकानोमी 1974 वाल्यूम 22 न0 3